क०मि० 39 (मीणा) 74

स्पीड पोस्ट
SPEED POST

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

सं0 एमकेएम/35/2010/एमएफआईएन9/ एसईओटीएच/ आर.यू.-IV

छठी मंजिल, 'बी' विंग, लोकनायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
6TH Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110003

दिनांक : 09-07-2014

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
बैंक आफ बड़ौदा,
प्रधान कार्यालय, बड़ोदरा,
गुजरात

विषय: बैंक ऑफ बड़ौदा में दफ्तरी के पद पर नौकरी बहाल करने के संबंध में श्री मुकेश कुमार मीना, ग्राम व पोस्ट– रौसी, तहसील–नादोती, जिला–करौली (राजस्थान) के अभ्यावेदन

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 17.06.2014 को आयोग की सदस्या, श्रीमती के. कमला कुमारी के समक्ष हुई सुनवाई/चर्चा के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको भेजी जा रही है।

अनुरोध है कि कार्यवृत्त में उल्लेखित बिन्दुओं पर अनुपालनात्मक रिपोर्ट आयोग को शीघ्र भिजवाने का कष्ट करें।

1760 – 61
9/7/14
जारी किया
ISSUED

भवदीय,

के०डी०बंसौर

(के.डी. बन्सौर)
निदेशक

प्रतिलिपि–

1. श्री मुकेश कुमार मीना, ग्राम व पोस्ट– रौसी, तहसील–नादोती, जिला–करौली (राजस्थान)।
2. एसएसए, एनआईसी।

O/C

सं0 एमकेएम/35/2010/एमएफआईएन9/ एसईओटीएच/आर.यू.-IV

विषयः बैंक ऑफ बड़ौदा में दफ्तरी के पद पर नौकरी बहाल करने के संबंध में श्री मुकेश कुमार मीना, ग्राम व पोस्ट– रौसी, तहसील–नादोती, जिला–करौली (राजस्थान) के अभ्यावेदन पर दिनांक 17.06.2014 को पूर्वाह्न 11:30 बजे आयोग के माननीय सदस्या, श्रीमती के. कमला कुमारी के समक्ष हुई सुनवाई/चर्चा का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित उपस्थितः–

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. श्रीमती के. कमला कुमारी, सदस्या
2. श्रीमती के.डी. बन्सौर, निदेशक
3. श्री एन. बालासुब्रमणियन, अनुसंधान अधिकारी
4. श्री एच.आर. मीना, वरिष्ठ अन्वेषक

बैंक ऑफ बड़ौदा

1. श्री पी.सी. सोनी, उप महाप्रबंधक (क्षेत्रीय हेड, जयपुर)
2. श्री एस. के अग्रवाल, सहायक महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा।

अभ्यावेदक

1. श्री मुकेश कुमार मीना

पृष्ठभूमि

श्री मुकेश कुमार मीना ने अभ्यावेदन दिनांक 27.10.2010 आयोग को प्रेषित कर सूचित किया कि बैंक ऑफ बड़ोदा में वह दफ्तरी के पद पर कार्यरत था। बैंक द्वारा उसके ऊपर कार्यालय से गैर–हाजिर होना एवं वरिष्ठ अधिकारी के साथ दुर्व्यहार करने के आरोप लगाकर पत्र दिनांक 28.02.2007 को बैंक सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। प्रार्थी ने आयोग को अनुरोध किया है कि आयोग उसके साथ हुए अन्याय की जांच कर उसे नौकरी में बहाल किए जाने की कार्यवाही करें।

मामले में आयोग ने पत्र दिनांक 03.11.2010 व अनुस्मरण पत्र 24.11.2010 के द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बैंक ऑफ बड़ोदा, मुम्बई से टिप्पण मांगे। महाप्रबंधक (एचआरएम एवं मार्केटिंग), बैंक ऑफ बड़ोदा ने अपने उत्तर/रिपोर्ट दिनांक 15.11.2010 आयोग को प्रेषित की और अवगत कराया कि श्री मीना को कार्यालय से अप्राधिकृत अनुपस्थिति एवं वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में सेवा से

K. Kamala Kumari

के० कमला कुमारी / K. KAMALA KUMARI
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

बर्खास्त किया गया। प्राप्त उत्तर की प्रति अभ्यावेदक को सूचनार्थ भेजी गयी जिसके प्रत्युत्तर में श्री मीना ने रिजोएन्डर दिनांक 23.12.2010 आयोग को प्रेषित किया जिसकी छायाप्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बैंक ऑफ बड़ोदा को आयोग के पत्र दिनांक 20.01.2011 के द्वारा भेजी गयी। इस संबंध में बैंक ऑफ बड़ौदा के पत्र दिनांक 01.04.2011 द्वारा आयोग को अवगत कराया कि श्री मीना के मामले में बैंक द्वारा सारे नियमों का पालन किया गया है। अभ्यावेदक ने एक और अनुवर्ती अभ्यावेदन दिनांक 21.06.2011 आयोग को प्रस्तुत किया जिसकी प्रति कामेंटस हेतु बैंक ऑफ बड़ौदा को आयोग के दिनांक 08.08.2011 के द्वारा भेजी गयी। बैंक ने अपने पत्र दिनांक 30.08.2011 के द्वारा सूचित किया कि श्री मीना के खिलाफ बैंक के नियमों/विनियमों के अनुरूप ही कार्रवाई की गयी है। प्राप्त इस उत्तर की प्रति सूचनार्थ हेतु अभ्यावेदक को भेजी गयी। अभ्यावेदक ने बैंक के उक्त उत्तर के संदर्भ में अपना रिजोएन्डर दिनांक 15.06.2012 आयोग को प्रेषित किया जिस पर कामेंटस एवं कार्रवाई हेतु आयोग के पत्र दिनांक 18.06.2012 द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा को लिखा गया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने उक्त रिजोएन्डर के संबंध में उत्तर रिपोर्ट दिनांक 29.09.2012 आयोग को प्रेषित की और बैंक के कार्रवाई को उचित बताया। इस उत्तर की प्रति अभ्यावेदक को सूचनार्थ भेजी गयी जिस पर अभ्यावेदक ने पुनः रिजोएन्डर दिनांक 23.04.2013 आयोग को प्रस्तुत किया। आयोग की ओर से पत्र दिनांक 30.04.2013 बैंक ऑफ बड़ौदा को लिखा गया जिसके उत्तर में बैंक ने अपना रिपोर्ट 10.05.2013 द्वारा आयोग को प्रेषित की। इस संबंध में आयोग की ओर से दिनांक 07.11.2013 को एक पत्र बैंक ऑफ बड़ौदा को लिखा गया जिसके द्वारा बैंक से श्री मीना की छुट्टियों के बारे में रिकोर्ड मांगा गया। बैंक ने अपने पत्र दिनांक 21.11.2013 द्वारा आयोग को उक्त रिपोर्ट भेजी।

इस प्रकरण में चर्चा/सुनवाई के लिए आयोग की माननीय सदस्या, श्रीमती के. कमला कुमारी ने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ दिनांक 17.06.2014 को आयोग में बैठक निश्चित की।

चर्चा

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा के पत्र दिनांक 05.06.2014 के द्वारा आयोग को अनुरोध पर श्री पी.सी. सोनी, बैंक ऑफ बड़ौदा, रिजनल हेड, जयपुर तथा श्री एस.के. अग्रवाल, सहायक महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, दिल्ली आयोग के समक्ष दिनांक 17.06.2014 को उपस्थित हुए।

K Kamala Kumari
के० कमला कुमारी / K. KAMALA KUMARI
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

बैठक में चर्चा के दौरान माननीय सदस्या ने श्री मुकेश कुमार मीना को अपने पक्ष में जानकारी देने के लिए कहा गया जिस पर उसने निम्नानुसार आयोग को बताया कि (1) उसने कभी भी एक साथ लम्बी छुट्टियां नहीं ली थी (2) उसके द्वारा अलग–अलग छुट्टियां अलग–अलग समय में ली गयी थी तथा उसकी छुट्टियां स्वीकृत की गयी थी। (3) वह छुट्टियों के आवेदन बैंक को भेजता रहा (4) छुट्टियों के उपरान्त बैंक में वह कार्य पर आता रहा (5) संबंधित बैंक प्रबंधक के साथ उसने कभी झगड़ा नहीं किया फिर भी उसके ऊपर बैंक प्रबंधक ने दोषारोपण लगाए (6) बैंक ऑफ बड़ौदा में किसी भी प्रकार का वित्तीय हेराफेरी उसके द्वारा नहीं की गयी तथा कनिष्ठ कर्मचारी होने पर बैंक से बाहर के व्यक्तियों की शिकायत के आधार पर उस पर आरोप लगाए गए। (7) जांच अधिकारी द्वारा उसे केवल एक बार ही जांच के लिए बुलाया गया। (8) जांच अधिकारी ने उससे कोई सवाल जवाब भी नहीं किए। (9) उस पर लगाये गये आरोपों के संबंध में जांच अधिकारी द्वारा संबंधित शिकायतकर्ताओं को कभी भी आमने–सामने बुला कर नहीं पूछा गया (10) बैंक प्रबंधक व बैंक ने उसके साथ अत्याचार किया है तथा उनके मामले को सही तौर पर नहीं देखा है। बैंक अधिकारी ने अवगत कराया कि व्यक्तियों की शिकायत के आधार पर श्री मीना के ऊपर बैंक प्रतिष्ठा के सवाल का आरोप था अतः बैंक द्वारा कार्रवाई किया जाना उचित है।

बैंक अधिकारी ने यह भी जानकारी दी कि बैंक द्वारा बैंक के नियमों/विनियमों के अनुसार ही श्री मीना को मामले में बचाव हेतु पूरे अवसर प्रदान किए गए। श्री मीना द्वारा बैंक के सामने सारे बचावी तथ्य प्रस्तुत किए गए। बैंक के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा मामले से संबंधित सारे तथ्यों का अवलोकन एवं अनुमोदन करने के उपरान्त ही श्री मीना को बैंक सेवा से मुक्त किया गया था।

माननीय सदस्या द्वारा अधिकारियों से पूछा गया कि श्री मीना ने अपने समस्त बिन्दुओं में जो कहा है उस पर बैंक के क्या टिप्पण है। बैंक अधिकारी ने कहा कि मामले में बैंक के नियमों/नियमों का पालन हो रहा है।

आयोग द्वारा संबंधित अधिकारियों को सलाह दी कि वह श्री मीना द्वारा प्रस्तुत वाद में, जो कि उसके खिलाफ जांच प्रक्रिया में पूरा मौका नहीं दिये जाने के संबंध में, को देखा जाए तथा श्री मीना को सलाह दी कि उसने जो आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया है वह शपथ पत्र पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा को भेजे।

K. Kamala Kumari

के० कमला कुमारी / K. KAMALA KUMARI
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi